

प्रेस विज्ञप्तिथाना- बरदहशादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अभियुक्त पवन पुत्र सुबाष निवासी बरौना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया वादिनी द्वारा शादी के लिए कहने पर मना करने लगा तथा वादिनी अभियुक्त के घर गयी तो अभियुक्त के घर वालो ने मारपीट व गाली गलौज किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-121/24 धारा 376/313/323/504/506/34 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 23.04.2024 को उ0नि0 जुबैर अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पवन पुत्र सुबाष निवासी बरौना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को बरौना नहर पुलिया से समय करीब 07.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 121/24 धारा 376/313/323/504/506/34 भादवि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- पवन पुत्र सुबाष निवासी बरौना थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 69/20 धारा 160/188/269 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 155/20 धारा 323/325/504 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
3. 65/24 धारा 34/434/504/506 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 121/24 धारा 313/323/376/504/506 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 जुबैर अहमद, का0 नीरज कुमार थाना बरदह, आजमगढ़।

थाना सिधारीगैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 27.07.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी को वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से बेचना/खरीदना तथा उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया तथा विरोध करने पर वादिनी को मारना-पीटना, गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 285/2023 धारा 323/504/506/372/373/376/377 भादवि0 व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट बनाम 1.शम्भू राजभर पुत्र शंकर राजभर, 2. शुभम राजभर पुत्र शंकर राजभर, 3. शंकर राजभर पुत्र अज्ञात समस्त निवासी राधोपट्टी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ 4. सुनील शर्मा पुत्र ईश्वर शर्मा 5. सोनू शर्मा पुत्र ईश्वर शर्मा समस्त निवासी औलान्त पोस्ट बड़ौली जिला रेवाड़ी हरियाणा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि उपरोक्त समस्त अभियुक्त गैंग बनाकर अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ अर्जित करने हेतु इस प्रकार का अपराध कारित किया जा रहा है। जिससे उक्त गिरोह के कृत्यों से लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न व जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया तथा आमजनमास जनता के मन में भय व्याप्त है।

➡ उपरोक्त गैंग के कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक सिधारी की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 16.04.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 19.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक सिधारी योगेन्द्र बहादुर सिंह की तहरीर पर उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 132/24 धारा 2 (ख) 1/3 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत कर विवेचना विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 23.04.2024 को प्र0नि0 योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शंकर राजभर पुत्र यदुनन्दन राजभर सा0 राधोपट्टी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र 62 वर्ष को शाहगढ़ बाजार से समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 285/2023 धारा 323/504/506/372/373/376/377 भादवि व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 132/24 धारा 2 (ख) 1/3 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- शंकर राजभर पुत्र यदुनन्दन राजभर सा0 राधोपट्टी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 62 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 योगेन्द्र बहादुर सिंह, हे0कां0 जयराम तिवारी, का0 शैलेन्द्र कुमार का0 बृजमोहन, कां0 दीवानचन्द, म0का0 साधना त्रिपाठी थाना सिधारी आजमगढ़।

थाना पवई

अवैध तमन्चा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 23.04.24 को उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य मय हमराह द्वारा जोगी बांध ग्राम खैरुद्दीनपुर के पास से अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र हरिनाथ यादव निवासी शेरजहांपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 05:45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 128/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 128/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- प्रमोद यादव पुत्र हरिनाथ यादव निवासी शेरजहांपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 30/21 धारा 60ए/72 आबकारी अधिनियम व 272,273,419,420,467,468,471 भादवि थाना पवई आजमगढ़।

2. मु0अ0स0 96/21 धारा 3(1) यूपी गैग्रेस्टर एक्ट थाना पवई आजमगढ़

3. मु0अ0स0 128/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई आजमगढ़

बरामदगी- 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य, हे0का0 इसरार अहमद, हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना देवगांव

अवैध असलहा-कारतूस के साथ सातिर अपराधी गिरफ्तार

आज दिनांक 23.04.2024 को उ0नि0 गौरव कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध असलहा लिये हुए जिरीकपुर मोड़ पर खड़ा है। इस सूचना पर उ0नि0 गौरव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा जिरीकपुर मोड़ से अभियुक्त पंकज यादव पुत्र मेवालाल यादव निवासी हदिसा रामपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को 01 तमन्चा 12 बोर तथा 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ समय करीब 07:45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 147/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 147/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:- पंकज यादव पुत्र मेवालाल यादव निवासी हदिसा रामपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 तमन्चा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 61/2024 धारा 376,323,504,506 भादवि थाना बरदह आजमगढ़

2. मु0अ0स0 79/2024 धारा 308,323,504,506,34 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़

3. मु0अ0स0 147/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 गौरव कुमार सिंह, का0 मंगलदीप थाना देवगांव आजमगढ़।

थाना पवई

अवैध तमन्चा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- आज दिनांक 23.04.2023 को वादी उ0नि0 श्री बद्रीनाथ मौर्य थाना पवई आजमगढ़ की फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय मे मु0अ0स0 127/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मो0 नासिर पुत्र कमालुद्दीन निवासी ग्राम गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 23.04.24 को उ0नि0 बद्रीनाथ मौर्य मय हमराह द्वारा रैदा मोड से अभियुक्त मो0 नासिर पुत्र कमालुद्दीन निवासी ग्राम गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़ को 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 00.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 127/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 127/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- मो0 नासिर पुत्र कमालुद्दीन निवासी ग्राम गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी- 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 बद्रीनाथ मौर्य, का0 वीरेन्द्र यादव, का0 शहबाज अहमद थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

कोतवाली एवं अतरौलिया क्षेत्रान्तर्गत बारात मालिक से लूट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; लूट के 01 लाख 30 हजार रुपये और घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 14.2.2024 को वादी मुकदमा चन्द्रमौलि उपाध्याय पुत्र लालता प्रसाद उपाध्याय नि0-164 श्री रामनगर गौशाला रोड नामदडी जोधपुर पुलिस थाना- बनाद राजस्थान द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी के लड़के का विवाह जनपद आजमगढ के हरीओम शुक्ला पुत्र स्व लालमणी शुक्ल की पुत्री से दि0 13/02/2024 को होना था, जिसके लिए बारात बहमस्थान आजमगढ से चौधरी गेस्ट हाउस आजमगढ के लिए समय लगभग 09.05 PM पर निकल रही थी इसी दौरान दो लड़के वादी का बैग छीनकर भाग गये जिसमें 01 लाख पच्चास हजार नगद रुपया, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैनकार्ड व आवास की चाभी का गुच्छा था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 91/2024 धारा 392 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

दौरान विवेचना अभियुक्त गोविन्दा लोना पुत्र पुनवासी लोना निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 27 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 22.04.24 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव व उ0नि0 राजनरायन पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त गोविन्दा लोना पुत्र पुनवासी लोना निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 27 वर्ष को बाग लखराव पुल से समय करीब 20.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡ जिसके कब्जे से लूट का 13000 रूपया, बैग, 02 आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, फोटो व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त- गोविन्दा लोना पुत्र पुनवासी लोना निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी- 13000 रूपया (लूट का), 01 बैग, 02 आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, फोटो व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (रजि0न0 UP44BE 9663, ई0न0 JA07ABM9L11151, चे0न0 MBLJAW181M9L00317)

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त गोविन्दा लोना पुत्र पुनवासी लोना निवासी ग्राम शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 27 वर्ष ने बताया कि उसका एक ग्रुप है जिसमें अभियुक्त के आलाव 1.लल्लू उर्फ सागर लोना पुत्र सुखू लोना 2. गोलू लोना पुत्र सुखू 3. काई उर्फ करिया उर्फ हरिया पुत्र पुनवासी सभी समस्त निवासी ग्राम शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर 4. मनोज लोना पुत्र बड़कन्ने लोना साकिन बालमपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर है। और लगन के सीजन में बारात को टारगेट करते हैं। मालिक की पहचान कर मोटरसाइकिल से बारात मालिक का बैग छीनकर भागते हैं। तथा शेष 03 साथी घटना के तुरन्त बाद पीछा करने का नाटक करते हुये पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हैं। जिससे जनता भ्रमीत हो जाती है और हम लोग मौके से छीना हुआ बैग लेकर फरार हो जाते हैं। पैसे आपस में पांचो लोग बाँट लेते हैं।

➡ ब्रह्मस्थान मन्दिर के पास से लूटे गये बैग में कुल 150000 रूपये मिले थे जिसे अभियुक्तों ने करतालुपर के पास 01 खण्डहर मकान में बराबर बराबर बाँट कर बैग व कागजात उसी खण्डहर मकान में फेंक दिया था तथा उपरोक्त अभियुक्तो ने ही अतरौलिया में भी उसी दिन बारात मालिक से लूट किये थे।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 91/24 धारा 392 भादवि0 थाना कोतवाली आजमगढ।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना/जनपद
1	91/24	395/412 भादवि	कोतवाली आजमगढ
2	42/24	392 भादवि	अतरौलिया आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव, उ0नि0 राजनरायन पाण्डेय, हे0कां0 महेन्द्र यादव, कां0 अखिलेश यादव, कां0 अंकित कुमार, कां0 राजन कुमार थाना कोतवाली आजमगढ।